Original Research Paper History

1937 ds iatkc fo/kkue.My ds pquko o ;fu;fuLV ikVhZ dh pqukoh j.kuhfr dk ,d v/;;u

DRBALKARSINGH

lkfjp;&

भारतीयों के आक्रोश को शांत करने के लिये अंग्रेजी हुकुमत समय–समय पर विभिन्न अधिनियम पेश करती रही जैसे 1892 का भारत सरकार अधिनियम, 1909 का मार्ले मिन्टो अधिनियम, 1919 का मान्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, 1935 का भारत सरकार अधिनियम आदि। इन सब अधिनियमों में भारत सरकार अधिनियम 1935 सबसे विस्तृत एवं प्रभावशाली था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार ब्रिटिश भारत के प्रांतों में चुनाव होने निश्चित हुये। इसी क्रम में पंजाब प्रांत में भी चुनाव होने थे। पंजाब की राजनैतिक स्थिती अन्य प्रांतो से भिन्न थी। अन्य प्रांतों में जहाँ अधिकतर में कांग्रेस का बोलबाला था, वहीं मुश्लिम बाहूल्य प्रांतों में मुस्लिम लीग का प्रभाव था।

iatkc dh lkekftd ,oa /kkfeZd fLFkfr&

पंजाब में इन दलों के अतिरिक्त यूनियनिस्ट पार्टी का प्रभाव भी था। पंजाब एक मुस्लिम बाहुल्य प्रांत था। मुसलमानों के अतिरिक्त इसमें हिन्दुओं और सिक्खों भी बड़ी संख्या में रहते थे। 1941 की जनगणना के अनुसार पंजाब की कुल जनसंख्या 34309861 थी, जिसमें 18581336 पुरूश और 15725525 महिलायें थी। इस प्रकार पंजाब की कूल जनसंख्या में 54.05 प्रतिशत पुरूश तथा 45.95 प्रतिशत महिलायें थी।

धार्मिक दृश्टि से पश्चिमी पंजाब में मुसलमान न केवल बहूसंख्यक थे, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिती भी बड़ी सुदृढ थी। हिन्दू पंजाब के केन्द्रीय व दक्षिण भाग में अधिक थे। सामाजिक दृश्टि से हिन्दू अनेक जातियें एवं उप जातियें में बटे हुये थे तथा उनमें अस्पृश्यता का बोलबाला था। मुसलमानों और हिन्दुओं के पश्चात पंजाब में तीसरा सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय सिक्खों का था। सिक्ख समुदाय मुख्य रूप से जालंधर, लाहौर, मांटगुमरी, लीयमपुर तथा मुल्तान में रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हिन्दू मख्यतः व्यापार और वाणिज्य में अग्रणी थे, इस कारण शहरों में हिन्दुओं की जनसंख्या अन्य समुदायों से अधिक थी। मुसलमानों मे अधिकतर मंझले व छोटे किसान थे तथा गावों में निवास करते थे।

iatkc dh jktuhfrd fLFkfr&

भारत सरकार अधिनियम 1935 में किये गये प्रबंधों के अनुसार पंजाब विधान परिशद का नाम बदलकर पंजाब विधान सभा कर दिया गया। इसकी सदस्य संख्या में भी बढौतरी कर कुल स्थान 195 तय कर दिये गये। विधान सभा में विभिन्न समुदायों तथा वर्गों का अलग–अलग प्रतिनिधित्व तय किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार पंजाब विधान सभा मे विभिन्न समुदायों को जो प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था वो इस प्रकार था :–

dqy lnL; la[;k & 175

pquko {ks=	“kgjh	xzkeh.k	dqy
सामान्य	08	34	42
मुसलमान	09	75	84
सिक्ख	02	29	31
विशेश	–	–	18
कुल	19	138	

भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जनसंख्या के दायरे को विस्तृत किया गया था, इससे पहले मताधिकार का दायरा बहुत ही सीमित एवं अल्प प्रतिनिधित्व था। भारत सरकार अधिनियम 1935 से पहले 3.4 प्रतिशत जनसंख्या को ही मतदान का हक प्राप्त था। इस अधिनियम के द्वारा 12 प्रतिशत लोगों को मतदान का हक प्रदान किया गया। अव 16000 मतदाताओं पर एक चुनाव क्षेत्र बनाया गया था।

ernkrk dh ;ksX;rk,¡&

भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा मतदाता की योग्यता को भी विस्तृत किया गया जो इस प्रकार हैं–

i. प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त महिला तथा ब्रिटिश सेना में अधिकारी और युद्ध मे मारे गये सैनिक की पत्नी एवं माता।
ii. सेवानिवृत सैनिक अधिकारी।
iii. शहरों में कम से कम 4000 रूपये वार्शिक आमदनी पर आयकर देने वाले या मकान से किराया प्रति वर्श कम से कम 96 रूपये प्राप्त कर रहा हो।
iv. प्राथमिक एवं उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति।
v. वाणिज्य एवं उद्दयोग क्षेत्र में 1000 रूपये प्रति वर्श का आयकर अदा करने वाला।
vi. आयकर अदा करने वाला एवं शहरों में 60 रूपये प्रति वर्श नगर पालिका को कर देने वाला।
vii. ग्रामीण क्षेत्रों में 25 रूपये प्रति वर्श भूमि कर देने वाला।
viii. उपाधि धारक व्यक्ति।
ix. विश्वविद्यालय चुनाव क्षेत्र में 7 वर्श के पजिकृत स्नातक तथा सिनेट के सदस्यों को।
x. चुनाव क्षेत्र में 500 रूपये प्रति वर्श भूमि कर देने वाले जंमीदार को एवं सरकार द्वारा जमींदारों में मान्यता प्राप्त तुमनदार।

fofHkUu nyksa dh pqukoh j.kuhfr &

कांग्रेस और मुस्लिम लीग, दोनों दलों ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का विरोध किया था। इन दलों का मानना था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीयों की आशा के विपरित था। परन्तु आम जनता में अपनी लोकप्रियता को जांचने और उसे सि़द्ध करने के लिये इन दलों ने आगामी चुनावों में भाग लेने का फैसला किया तथा चुनावी तैयारी में जुट गई। यूनियनिश्ट पार्टी ने अन्य दलों की तरह इसका स्वागत किया तथा आम जनता में अपनी पकड़ दर्शाने तथा अपनी नीतियों एवं सिधान्तों को सही साबित करने के लिये दल ने चुनाव में भाग लेने का फैसला किया तथा आने वाले चुनावों की तैयारी शुरू कर दी।

iatkc uS'kuy ;fu;fu'V ikVhZ &

खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन की समाप्ती के पश्चात देश में राजनैतिक शुन्य चल रहा था। जहाँ एक ओर मोती लाल नेहरू, सी0 आर0 दास आदि नेताओं ने स्वराज पार्टी का गठन कर केन्द्रीय स्तर पर इस शुन्यता को भरने की कोशिश कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर विभिन्न राज्यो में अनेकों नये संगठन और दलों का गठन हो रहा था। पंजाब में वर्श 1923 में फैजल – ए – हूसैन ने विधान परिशद के मुस्लिम सदस्यों को मिलाकर ग्रामीण दल का गठन किया। इस दल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले कृशकों के पिछड़े पन को दूर करना था। हालांकि इस दल के संस्थापक मुस्लिम थे, लेकिन इस दल के दरवाजे सभी धर्मों एवं समप्रदायों के लिये खुले थे। कालांतर में इस ग्रामीण दल का नाम बदल कर राश्ट्रीय यूनियनिश्ट पार्टी रखा गया। इस दल को स्थापित करने तथा इसकी नीतियों के प्रचार प्रसार में चौधरी छोटू राम का महत्वपूर्ण योगदान था। इस प्रकार इसके संगठन में मुसलमानों के साथ – साथ हिन्दू तथा सिक्ख समुदाय के जमींदार भी थे।

;fu;fu'V ikVhZ ds izeq[k mn~ns'; &

युनियनिश्ट पार्टी का गठन मुख्य तौर पर ग्रामीणों कृशकों के उद्धार एवं विकाश के लिये हुआ था। इसलिये इस पार्टी के मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों कृशकों की बेहतरी था। इस दल के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार थे –

i. राश्ट्रकुल के तहत सवैधानिक साध्नों से देश में डोमिनियम स्टेटस प्रदान करना।
ii. खेतिहर वर्ग तथा अन्य वर्गों के बीच प्रान्तीय करों का विभाजन करना।
iii. आर्थिक दृश्टि से सम्पन्न वर्गों के द्वारा आर्थिक दृश्टि से पिछड़े हुये वर्गों के लोगों का शोशण रोकना।
iv.सभी के लिये अवसर उपलब्ध करवाने और पिछड़े पिछड़े वर्गो तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये सरकारी सहायता प्रदान करना।
v. परम्परागत उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन देना।
vi. ब्रिटिश सरकार को यह प्रदर्शित करना कि भारतीय स्वशासन के बढ़ते उत्तरदायित्व को पूरा करने में सक्षम हैं।

;fu;fu'V ikVhZ vkSj fczfV'k ljdkj

इस दल की पृश्टभूमि ग्रामीण क्षेत्र से थी, इसलिये यह स्वाभाविक था कि ये ग्रामीणों के पक्ष लेते थे तथा शहरी सिक्खों के विरूध थे। इनकी नीतियों कों मुख्यतः ब्रिटिश सरकार समर्थक कहा जा सकता है। युनियनिश्ट पार्टी के नेताओं ने कृशक वर्ग की आर्थिक, शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिती में सुधार करने के उद्देश्य से तथा समाज में प्रचलित साम्प्रदायिक अलगाववाद को दूर करने के लिये सरकार में शामिल होने का फैसला किया। 1935 के भारत सरकार अधिनियम पारित हो जाने के पश्चात युनियनिश्ट पार्टी ने चुनावों की तैयारी आरम्भ कर दी। आगामी चुनावों को ध्यान रखते हुये दल के मुखिया सर फैजल–ए–हुसैन ने वर्श 1936 के आरम्भ में ही दल का पुर्नगठन शुरू कर दिया। परन्तु इसी दौरान 09 जुलाई 1936 को सर फैजल–ए–हुसैन की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण युनियनिश्ट पार्टी की चुनावी तैयारियों को झटका लगा। सर फैजल–ए–हुसैन के निधन के कारण पैदा हुई निराशाजनक स्थिती से उबरने के लिये पार्टी ने सर सिकन्दर हयात खान को पार्टी के संचालन का दायित्व सौपा तथा आने वाले चनावों की तैयारी तेज कर दी।

1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत हुये चुनावों के परिणामें की घोशणा 15 जनवरी 1937 को की गई थी। इन चुनावों में युनियनिश्ट पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुये विधानमण्डल की कुल 175 सीटों में से 95 सीटे प्राप्त करते हुये स्पश्ट बहुमत प्राप्त किया। युनियनिश्ट पार्टी नेतृत्व अब सरकार बनाने की तैयारी में लग गया। पंजाब प्रांत के गर्वनर हर्बट एमरसन ने पार्टी के मुखिया सर सिकन्दर हयात खान को सरकार बनाने के लिये आमंत्रित किया। युनियनिश्ट पार्टी के पास स्पश्ट बहुमत था, लेकिन युनियनिश्ट पार्टी ने अपने चुनाव पूर्व सहयोगी पार्टीयों खालसा नैशनलिश्ट पार्टी व हिन्दू इलैक्शन बोर्ड दोनो को अपने साथ सरकार में शामिल करने का फैसला किया ताकि समाज के अधिक से अधिक समुदाय का प्रतिनिधित्व सरकार में हो सके। युनियनिश्ट पार्टी और सर सिकन्दर हयात खान के इस कदम से सरकार के गठन में साम्प्रदायिक भेदभाव कम होने की आस जगी।

;fu;fu'V ikVhZ vkSj ea=hea.My dk xBu

पंजाब सरकार की कैबिनेट के लिये मंत्रीयों के चयन के लिये सर सिकन्दर हयात खान ने मार्च 1937 में पंजाब प्रांत के गवर्नर हर्बर्ट एमरसन से चर्चा शुरू कर दी थी। एक अप्रैल उन्नीस सौ सैंतीस को नये मंत्रीयों को शपथ दिलाई गई। पंजाब मंत्रीमण्डल के नये सदस्य इस प्रकार थे :–

I. सर सिकन्दर हयात खान – प्रधानमंत्री (प्रिमीयर)
ii. वकील मनोहर लाल – वित्तमंत्री
iii. सर सुन्दर सिंह मजीठिया – राजस्व मंत्री
iv. चौधरी छोटूराम – विकास मंत्री
v. नवाबजादा मलिक खिजर हयात खान – जनसेवा मंत्री
vi. मियाँ अब्दूल खान – शिक्षा मंत्री

इसके अलावा राजा गजनफर अली खान, शेख फैज मोहम्द, ठाकूर रिपूदमन सिंह, चौधरी टीका राम, बेगम जहादारा शाह नवाब, अहमद यार खान, मीर मकबूल मोहम्मद, सरदार बहादूर अंचल सिंह, को विभिन्न विभागों में बतौर संसदीय सचिव नियुक्त किये गये। इनके अलावा विभिन्न विभागों में राय बहादूर चौधरी, सरदार गोपाल सिंह, नवाब मोहम्मद फया अली, खान बहादूर मियां, मुस्ताक अहमद, श्याम लाल, सैयद अमजद अली शाह, भगत हंसराज, सरदार जगजीत सिंह मान व सर विलियम राबर्ट को संसदीय सचिव (निजी) नियुक्त किया गया।

Ikjka'k

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि सर सिकन्दर हयात खान ने अपनी रणनीति के द्वारा सरकार में सभी वर्गों व समुदायों को शामिल कर अन्य पार्टियों को अपनी चुनावी रणनीति बदलने पर मजबूर कर दिया। सरकार गठन के माध्यम से वे अन्य दलों को यह संदेश देने में सफल रहे कि मौजूदा वक्त में पंजाब में युनियनिश्ट पार्टी का मुकाबला करना आसान नहीं है। सर सिकन्दर हयात खान की इस रणनीति का सबसे अधिक नुकसान मोहम्मद अली जिन्नाह व उसकी पार्टी मुस्लिम लीग को उठाना पड़ा तथा चुनाव में मुस्लिम लीग के केवल दो ही उम्मीदवार चुनाव में विजय प्राप्त कर सके। चुनाव परिणामों ने कांग्रेस, मुस्लिम लीग तथा अन्य पार्टियों को यह सन्देश दे दिया कि वे एक नई व्यूह रचना, कार्यक्रम व सोच के साथ जनता में जायें।

lUnHkZ lwph&

1. सैशंस आफ इण्डिया, पंजाब 1941, पृ0 52
2. मलिक इकराम अली, द हिस्ट्री आफ दी पंजाब 1799–1947, पृ0 227
3. होम पब्लिक फाईल संख्या 305 ⁄ 1937, पृ0 58–59
4. के0 सी0 यादव, इलैक्शन इन पंजाब 1926–47, पृ0 19
5. जवाहर लाल नेहरू, एन आटोबायोग्राफी, पृ0 386
6. इफतिकार एच0 मलिक, आइडै टीटी फारमेशन एंड मुस्लिम पार्टी इन द पंजाब, 1897–1936, पृ0 312
7. एस0सी0 मितल, फ्रीडम मूवमैंट इन पंजाब, 1926–47,पृ0 15–16
8. मदन गोपाल, सर छोटू राम ए पालिटिक्स बायोग्राफी, पृ0 83
9. अमर जीत सिंह, पंजाब डिवाइडिडः पालिटिक्स आफ मुस्लिम लीग एंड पार्टिशन1937–45, पृ0 35
10. द ट्रिब्यून, 3 मार्च 1937
11. इण्डियन एनुअल रजिस्ट्रर,1938,वोल्यूम 01